झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विवाह निबंधन विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड विवाह निबंधन विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

खण्ड – 1

विषय–सूची

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।

2 परिभाषाएँ ।

3 विवाह निबंधक की नियुक्ति ।

4 राज्य के अंतर्गत हरेक विवाह का पंजीकरण ।

5 विवाह का ज्ञापन ।

6 60 दिनों के पश्चात समर्पित ज्ञापन ।

7 ज्ञापन भरा जाना एवं विवाह प्रमाण–पत्र का निर्गमन ।

8 विवाह पंजी का जनता के अवलोकन हेतु मुक्त होना ।

9 निबंधन नहीं होने से विवाह का अवैध न होना ।

10 विवाह की वैधता की उपधारणा ।

11 विहित शुल्क ।

12 पावती का प्रपंत्र ।

13 कैश बुक ।

14 अधीक्षण ।

15 अधिनियम की धारा 5 या 6 के उपेक्षा बरतने या ज्ञापन में मिथ्या विवरण अंकित करने हेतु दंड ।

16 ज्ञापन को फाइल करने में असफलता के लिए दंड ।

17 पंजी को छुपाने, नष्ट करने या फेरबदल करने के लिए दंड ।

18 विवाह निबंधक का लोकसेवक होना ।

19 नियम बनाने की शक्ति ।

20 व्यावृति ।

झारखण्ड विवाह निबंधन विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

ट्रांसफर पेटिशन (सि) न0. 291/2005 श्रीमती सीमा बनाम अश्वनी कुमार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 14.02.2006 के निर्णय में दिये गये निर्देश को कार्यान्वित करने के लिए प्रावधान हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:– (1) यह अधिनियम झारखण्ड विवाह निबंधन अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ :– इस अधिनियम में, जबतक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "विवाह" के संपादन से तात्पर्य है विविध धर्मो में किसी रूप या विधि से विवाह करना या विवाह संपादित करना ;

(2) "विवाह" के अन्तर्गत "पुनर्विवाह" भी शामिल है ;

(3) "ज्ञापन" से अभिप्रेत है, धारा 5 एवं 6 में वर्णित विवाह का ज्ञापन ;

(4) "पुरोहित" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो विवाह संपन्न कराता है ;

(5) "पंजी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत संधारित विवाह पंजी ;

(6) "निबंधक" से अभिप्रेत है भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत नियुक्त जिला निबंधक ;

(7) "महानिबंधक" से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम 1908 (1908 का अधि संख्या – 16) की धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त महानिरीक्षक निबंधन ।

(8) "विवाह" निबंधक से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत नियुक्त निबंधक ।

(9) "अवर निबंधक" से अभिप्रेत है भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत नियुक्त सभी अवर निबंधक ।

(10) "अनुसूची" से अभिप्रेत हैं, इस अधिनियम की अनुसूची ।

3. विवाह निबंधक की नियुक्ति :–

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सभी जिलों के अवर निबंधक एवं निबंधक अपने जिले के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विवाह निबंधक के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य ,सरकार इस धारा की उपधारा (1) में वर्णित विवाह निबंधक के अतिरिक्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए यथावश्यक संख्या में विवाह निबंधक नियुक्त कर सकेगी ।

4. राज्य के अंतर्गत हरेक विवाह का पंजीकरण–इस अधिनियम के प्रवृत होने के पश्चात् झारखण्ड राज्य में संपादित हरेक विवाह इस अधिनियम में विहित रीति से पंजीकृत किया जाएगा ।

5. विवाह का ज्ञापन :– (1) विवाह के पक्षों जिनपर धारा–4 के प्रावधान लागू हों या उनके पिता या अभिभावक अनुसूची के प्रपत्र–क में एक हस्ताक्षरित ज्ञापन विवाह संपादन के 60 दिनों की अवधि के भीतर संबद्ध क्षेत्र के विवाह निबंधक को दो प्रतियों में स्वयं या निबंधित डाक से प्रेषित करेगें ।

(2) ज्ञापन के साथ आगे विहित शुल्क संलग्न किया जाएगा ।

6. 60 दिनों के पश्चात् समर्पित ज्ञापन :– किसी विवाह के संबंध मे ज्ञापन 60 दिनों की अवधि के पश्चात् भी विवाह निबंधक को समर्पित किया जा सकता है यदि वह धारा 5 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुरूप नहीं दिया गया या प्रेषित किया गया हो । यह ज्ञापन भी प्रपत्र "क" में तैयार एवं हस्ताक्षरित होगा एवं यथा आगे विहित शुल्क के साथ समर्पित होगा ।

7. ज्ञापन का दाखिल किया जाना एवं विवाह प्रमाण–पत्र का निर्गमन :–ऐसे ज्ञापन की प्राप्ति के पश्चात् विवाह निबंधक पंजी में संबंधित विवरणों को संधारित करेगा, उसकी द्वितीयक प्रति महानिबंधक को भेजेगा एवं अनुसूची प्रपत्र– "घ" में विवाह प्रमाण पत्र निर्गत करेगा ।

8. विवाह पंजी का जनता के अवलोकन हेतु मुक्त होना इस अधिनियम के अंतर्गत संधारित पंजी हर उपयुक्त अवधि में एवं निर्धारित शुल्क भुगतान पर अवलोकन हेतु मुक्त होगा एवं विवाह निबंधक द्वारा उसके उद्धरण आगे विहित शुल्क के भुगतान एवं तद्हेतु आवेदन पर दिये जा सकेंगे ।

9. निबंधन नहीं होने से विवाह का अवैध न होना राज्य के अंतर्गत संपादित विवाह सिर्फ इस कारण अवैध नहीं होगा कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित नहीं हैं ।

10. विवाह की वैधता की उपधारण :– इस अधिनियम के अंतर्गत निर्गत विवाह प्रमाण पत्र जब भी किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, संबद्ध न्यायालय ऐसे विवाह के वैध होने की उपधारणा करेगा, यदि और जबतक कि यह अप्रमाणित न हो जाए ।

11. विहित शुल्क :– विवाह निबंधन के लिए विहित शुल्क निम्न प्रकार होंगे जो निबंधक को नगद भुगतेय होंगे ।

1. विवाह के संपादन के 60 दिनों के भीतर विवाह निबंधन की स्थिति में 250.00 रूपये ।
2. विवाह के संपादन के 60 दिनों के पश्चात् विवाह निबंधन की स्थिति में 500.00 रूपये ।
3. पंजी का सत्यापित उद्धरण तद्हेतु आवेदन एवं 250.00 रूपये के भुगतान पर दिये जा सकेंगे।
4. प्रविष्टि अवलोकन हेतु शुल्क निम्नवत् होंगे –

(क) यदि प्रविष्टि चालू वर्षो की हो, 75.00 रूपये ।

(ख) यदि प्रविष्टि आसन्न विगत वर्ष की हो, 150.00 रूपये ।

(ग) यदि प्रविष्टि उससे भी पूर्व वर्ष की हो, 200.00 रूपये और उसके पश्चात् प्रत्येक पूववर्ती वर्ष के लिए अतिरिक्त 50.00 रूपये ।

5. विवाह निबंधन हेतु उपर्युक्त शुल्क मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–उपशीर्ष–60–अन्य सेवाएँ–लघुशीर्ष–108 विवाह शुल्क के अंतर्गत कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा ।

12. पावती का प्रपत्र :– इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र संख्या– "ख" से संबद्ध रिसीट बुक से एक पावती इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किय गये शुल्क की अभिस्वीकृति के लिए निर्गत किये जायेंगे । रिसीट बुक सौ पत्रों का एक बंधित वॉल्युम होगा जसे प्रत्येक पर्ण एवं प्रतिपर्ण युक्त होगा तथा लगातार मशीन द्वारा कमांकित होगा ।

13. कैश बुक :–विवाह निबंधक इस अधिनियम से उपाबद्व अनुसूची के प्रपत्र– "ग" में कैश बुक संधारित करेंगे या करायेंगे । इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सभी शुल्क प्रत्येक दिन कैश बुक में अंकित किये जायेंगे और निबंधक उस दिन के कुल जमा शुल्क की सत्यता को प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे ।

14. अधीक्षण :–निबंधक अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन महानिबंधक के सामान्य अधीक्षण में एवं निबंधक के रूप में प्रभारी अवर निबंधक एंव धारा 3 (2) के अंतर्गत नियुक्त अन्य विवाह निबंधक अपने अधिकार एवं कर्त्तवयों का निर्वहन जिले के निबंधक के सामान्य अधीक्षण में करेंगे ।

15. अधिनियम की धारा 5 एवं 6 की उपेक्षा बरतने या ज्ञापन में मिथ्या विवरण अंकित करने हेतु दंड – (1) कोई व्यक्ति जो –

(क) धारा 5 या 6 द्वारा उपेक्षित ज्ञापन में जानबूझ कर कोई तथ्य छुपाता हैं या ज्ञापन को भेजने या प्रेषित करने में उपेक्षा करता हैं ।

(ख) ऐसे ज्ञापन में कोई विवरण प्रस्तुत करता हैं जो असत्य हों या जिसे वह असत्य समझे या उसे असत्य समझे जाने का कारण हो,

दोषसिद्ध होने पर, तीन महीने की अवधि तक के कारावास या पाँच सौ रूपये तक के दंड या दोनों का भागी होगा ।

16. ज्ञापन को फाइल करने में असफलता के लिए दंड :– कोई विवाह निबंधक जो उन्हें प्राप्त या प्रेषित ज्ञापन को फाइल करने या इस अधिनियम की धारा– 7 द्वारा यथा अपेक्षित पंजी में प्रविष्टि अंकित करन में जानबूझ कर असफल होता हैं, वह दोषसिद्ध होने पर तीन महीनें तक की अवधि के कारावास या दंड या दोनों का भागी होगा ।

17. पंजी को छुपाने, नष्ट करने या फेरबदल करने के लिए दंड :– पंजी या किसी भाग को छुपाने, नष्ट करने या बेइमानी या कपट से फेरबदल करनेवाला कोई व्यक्ति, दोषसिद्ध होने पर दो वर्षो तक के कारावास एवं दंड का भी भागी होगा ।

18. विवाह निबंधक का लोकसेवक होना :– हरेक विवाह निबंधक भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अभिप्राय के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा ।

19. नियम बनाने की शक्ति :– राज्य सरकार, जैसा वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी ।इस अधिनियभ के अंतर्गत बनी हर नियमावली यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष उपस्थापित की जाएगी ।

20. व्यावृति :– विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत संपादित विवाह इस अधिनियम के प्रावधानों से आच्छादित नहीं होंगे ।

अनुसूची

प्रपत्र– "क"

(धारा– 5 एवं 6 अवलोकनीय)

विवाह का ज्ञापन

---

1. विवाह की तिथि–

---

2. विवाह का स्थान–
(स्थान की अवस्थिति के लिए पर्याप्त विवरण सहित)

---

3. (क) वर का नाम–
(ख) उसकी उम्र–
(ग) निवास का पता–
(ध) विवाह के समय वर की हैसियत–
(अविवाहित / विधुर या परित्यक्त)
(ड) वर का तिथि सहित हस्ताक्षर–

---

4. (क) वधु का नाम–
(ख) उसकी उम्र–
(ग) निवास का पता–
(ध) विवाह के समय वधु की हैसियत–
(अविवाहित / विधुर या परित्यक्त)
(ड) वधु का तिथि सहित हस्ताक्षर–

---

5. (क) वर के पिता या अभिभावक का पूरा नाम–
(ख) उसकी उम्र–
(ग) निवास का पता–
(ध) वर के पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर–
(यदि वह सहमत पक्ष हों)

---

6. (क) वधु के पिता या अभिभावक का पूरा नाम–
(ख) उसकी उम्र–
(ग) निवास का पता–
(ध) वधु के पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर–
(यदि वह सहमत पक्ष हों)

---

7. विवाह की विधि–

8. (1) (क) साक्षी का नाम– (1) (2)
(ख) साक्षी का पता, पिता के नाम सहित (1) (2)
(ग) साक्षी का सतिथि हस्ताक्षर– (1) (2)

(2) पुरोहित, यदि कोई हो, का हस्ताक्षर एवं पता–

9. घोषणा :– हम सत्यनिष्ठ घोषणा करते है कि हमसे एवं संपन्न विवाह से संबद्ध विवरण, जो आवेदन पत्र में अंकित है, हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सत्य है और शेष तथ्य प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं एवं विश्वास हैं कि वे सत्य हैं ।

वर का हस्ताक्षर
तिथि–

वधु का हस्ताक्षर
तिथि–

प्रपत्र– "ख"
(धारा– 10 अवलोकनीय)
शुल्क पावती

1. कम संख्या–
2. प्राप्ति की तिथि–
3. जिनसे शुल्क प्राप्त हुआ है–
4. किस निमित्त शुल्क प्राप्त है–
5. धारा जिसके अंतर्गत शुल्क ग्रहणीय है–
6. शुल्कों की राशि–

स्थान–
दिनांक– विवाह निबंधक के हस्ताक्षर

प्रपत्र– "ग"
(धारा– 11 अवलोकनीय)
कैश बुक

पावती संख्या एवं तिथि	वसूल की गयी राशि का विवरण	राशि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	कोषागार में जमा राशि	चालान नं0 एवं तिथि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

प्रपत्र– "घ"
(धारा– 7 अवलोकनीय)
अन्य रूपों में संपादित विवाहों के प्रमाण–पत्र

मैं.................................विवाह निबंधक ....एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक....................को वर श्री ....एबं वधु श्रीमती .... मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उनमें से प्रत्येक ने मेरी एवं दो साक्षियों, जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किया है, की उपस्थिति में घोषणा की है कि दिनांक.................... को उनके बीच विवाह समारोह सम्पन्न हुआ और यह कि विवाह के समय से वे पति एवं पत्नी के रूप में रह रहे हैं, और यह कि इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अपने विवाह को निबंधित कराने की उनकी इच्छा के अनुरूप यह विवाह दिनांक .... के प्रभाव से इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित किया गया ।

(ह0)
विवाह निबंधक

(ह0)
वर

(ह0)
वधु

(ह0)
साक्षी नं0– 1

(ह0)
साक्षी नं0– 2

दिनांक– ....

यह विधेयक झारखण्ड विवाह निबंधन विधेयक, 2006 दिनांक 22 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०)29--50--22-8-2006 ।